न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 243/2025(GCMS : 2025/367)

राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा सरदारगढ तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अजय कुमार (क्षेत्रीय प्रबन्धक), क्षेत्रीय कार्यालय, श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

सुखभाल सिंह पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह निवासी वार्ड नं., गांव 11 एसजीएम (सरदारगढ़), तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर –335705

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.10.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा एवं आकाश मेहर ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थी सुखभाल को ऋण सुविधा के रूप में 10.00/– लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 30.04.2025 को 10,74,385/– रूपये की ऋण राशि भुगतान से बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी सुखभाल सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 28, संकल्प नं. 5 दिनांकित 05.03.2024, गांव सरदारगढ़, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 6545 वर्गफुट (बंधक सम्पत्ति की चारों सीमाएं : पूर्व – मुख्त्यार अली की सम्पत्ति, पश्चिम – बाली सिंह की सम्पत्ति, उत्तर – रोड़, दक्षिण – दर्शन सिंह की सम्पत्ति),** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी सुखभाल** को ऋण सुविधा के रूप में 10.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये दस लाख मात्र) की स्वीकृत दिनांक 09.07.2024 को प्रदान की गई थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुखभाल सिंह ने अपनी अचल **सम्पत्ति पट्टा नं. 28, संकल्प नं. 5 दिनांकित 05.03.2024, गांव सरदारगढ़, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 6545 वर्गफुट (बंधक सम्पत्ति की चारों सीमाएं : पूर्व – मुख्त्यार अली की सम्पत्ति, पश्चिम – बाली सिंह की सम्पत्ति, उत्तर – रोड़, दक्षिण – दर्शन सिंह की सम्पत्ति),** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 27.02.2025 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:36:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) की तामील हो गयी है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी सुखभाल सिंह की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 28, संकल्प नं. 5 दिनांकित 05.03.2024, गांव सरदारगढ़, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 6545 वर्गफुट (बंधक सम्पत्ति की चारों सीमाएं : पूर्व – मुख्त्यार अली की सम्पत्ति, पश्चिम – बाली सिंह की सम्पत्ति, उत्तर – रोड़, दक्षिण – दर्शन सिंह की सम्पत्ति), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस दिनांक 30.04.2025 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 30.04.2025 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, **अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 06.05.2025 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये, जिसके अनुसार** अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर** कोई आपत्ति ... किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी ... द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्ति का ... दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:36:18 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी राजस्थान ग्रामीण बैंक लि. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

	प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी **ऋणी सुखभाल सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 28, संकल्प नं. 5 दिनांकित 05.03.2024, गांव सरदारगढ़, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 6545 वर्गफुट (बंधक सम्पत्ति की चारों सीमाएं : पूर्व – मुख्त्यार अली की सम्पत्ति, पश्चिम – बाली सिंह की सम्पत्ति, उत्तर – रोड़, दक्षिण – दर्शन सिंह की सम्पत्ति), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो। **यह आदेश आज दिनांक 21.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** (डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:36:18 IST
Reason: SelfAttested